

न्यायालय:-अमूल मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 114/18

संस्थित दिनांक 27.04.2018

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
 अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. कैलाश पिता देवीसिंह भीलाला,
 उम्र 35 वर्ष, निवासी मण्डवाड़ा
 जिला बड़वानी
2. सीताराम पिता किशन भीलाला,
 उम्र 48 वर्ष, निवासी मण्डवाड़ा
 जिला बड़वानी

.....अभियुक्तगण

:://निर्णय//::

(आज दिनांक 27/04/2018 को घोषित)

1— अभियुक्तगण कैलाश व सीताराम पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 के तहत यह अभियोग है कि वे दिनांक 20.04.2018 को शाम 5:00 बजे के लगभग मच्छी बाजार मण्डवाड़ा में लोक स्थान पर ताश पत्तों से रूपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाये गये।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण ने इस निर्णय की कण्डिका 1 में वर्णित आरोपों को स्वेच्छा से बिना किसी डर दबाव के स्वीकार किया है।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.04.2018 को थाना अंजड़ के सहायक उपनिरीक्षक परमानंद यादव हमराह फोर्स के साथ देहात भ्रमण पर थे, ग्राम मण्डवाड़ा में मुखबीर से सूचना मिली कि मण्डवाड़ा मच्छी बाजार में कैलाश एवं सीताराम हार जीत का दाव लगाकर 52 तास पत्ते का जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर विश्वास करते हुए उन्होंने राहगीर पंचान मोहन तथा हीरदाराम को तलब कर सूचना से अवगत कराया एवं मच्छी बाजार मण्डवाड़ा पहुंचे तो देखा मच्छी बाजार में दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर ताश पत्ते का रूपये पैसों का हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे थे। उन व्यक्तियों को हमराह फोर्स व पंचान की मदद से पकड़कर नाम पता पूछने पर कैलाश पिता देवीसिंग भीलाला निवासी मण्डवाड़ा होना बताया जिसके कब्जे से 250 रूपये नगदी एवं 45 ताश पत्ते तथा फंड से 40 रूपये एवं दूसरे ने अपना नाम

सीताराम पिता किशन भीलाला, निवासी मण्डवाडा का होना बताया जिसके कब्जे से 150 रुपये नगदी एवं फड से 50 रुपये नगदी तथा 07 ताश पत्ते इस प्रकार कुल 52 ताश पत्ते एवं नगदी 490 रुपये पंचान के समक्ष जप्त किये एवं पंचानों की उपस्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद थाना वापस आकर उनके विरुद्ध थाने का अपराध क्र. 156/18 अंतर्गत धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं प्रकरण को विवेचना में लिया। विवेचना दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

4— उक्त अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत अपराध विवरण विरचित किया जाकर अभियुक्तगण को अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने उन्होंने उक्त अपराध करना स्वीकार किया उनका अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है:—

क्या अभियुक्तगण कैलाश एवं सीताराम ने दिनांक 20.04.2018 को शाम 5:00 बजे के लगभग मच्छी बाजार मण्डवाड़ा में लोक स्थान पर ताश पत्तों से रूपयों की हारजीत के लिये दाव लगाकर सट्टा खेलते/खिलाते हुए पाये गये?

//निष्कर्ष के आधार//

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष

6— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के असल होने को अभियुक्तगण ने स्वीकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उन्होंने उक्त अपराध किया है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण के द्वारा धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने से उन्हें धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

7— दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्तगण की पूर्व की कोई दोषसिद्धि होना अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। उक्त स्थिति में प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम के अपराध में 100/—, 100/— रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्तगण को 15-15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है।

8— प्रकरण में जप्तशुदा 490 रुपये राजसात किये जाते हैं। प्रकरण में

जप्तशुदा 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित, मेरे उद्बोधन पर टंकित।
एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(अमूल मंडलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़
जिला बड़वानी म.प्र.

(अमूल मंडलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़
जिला बड़वानी म.प्र.